समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-:आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 39/श0, दिनांक 13-02-2014 के द्वारा शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज से शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या क्रमशः 3373/81 (मुरलीगंज थाना) एवं 02/1994 (मुरलीगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या- डब्लू0 एम0 8102123 एवं 42488 ए/9 में से किस अनुज्ञप्ति को रखना चाहते है और किसे रद्द कराना चाहते हैं, के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई थी।

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज ने अपने पत्रांक 20, दिनांक 22-02-2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुज्ञप्ति संख्या 3373/81 को रद्द एवं अनुज्ञप्ति संख्या- 02/1994 को नवीकृत कराना चाहते है। दोनों अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र मुरलीगंज थाना के मालखाना में जमा है तथा वर्त्तमान उक्त दोनों शस्त्र अनुज्ञप्ति शस्त्र विहिन है। इसलिए 02/1994 (मुरलीगंज थाना) को नवीकरण के फलस्वरूप इसपर शस्त्र धारित करने हेतु शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31-10-2014 तक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज से प्राप्त आवेदन के आधार पर दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 3373/81 (मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है तथा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 02/1994 (मुरलीगंज थाना) को भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए निलंबन से मुक्त करते हुए नियमानुसार विहित विलंब शुल्क सहित नवीकरण शुल्क चलान के माध्यम से जमा करवा कर वर्ष 2009 से 2014 तक (कुल-06वर्ष) नवीकृत करने तथा शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31-10-2014 तक निर्धारित की जाती है।

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 02/1994 (मुरलीगंज थाना) की मूल प्रति, विलम्ब शुल्क सहित नवीकरण शुल्क कोषागार माध्यम से जमा कर चलान की मूल प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा कर दें, ताकि वर्ष 2009 से 2014 तक नवीकरण एवं शस्त्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31-10-2014 तक प्रविष्ट किया जा सके।

थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि वे शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज का दो नाली बन्दूक संख्या- डब्लू0 एम0 8102123 एवं 42488 ए/9 मुरलीगंज थाना दैनिकी सनहा संख्या 283, दिनांक 13-06-2013 के द्वारा थाना मालखाना में जमा की गई है, उसे पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगे। बगैर सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किए संस्थान को हस्तगत नहीं करायेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त संस्थान के दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 3373/81 (मुरलीगंज थाना) को रद्द एवं शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज द्वारा दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 02/1994 (मुरलीगंज थाना) की मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं विलम्ब शुल्क सहित वर्ष 2009 से 2014 तक निर्धारित नवीकरण शुल्क जमा संबंधी मूल कोषागार चलान जमा के उपरान्त अनुज्ञप्ति संख्या 02/1994 (मुरलीगंज थाना) को वर्ष 2009 से 2014 तक नवीकरण एवं शस्त्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31-10-2014 तक शस्त्र पंजी में प्रविष्टि करवा कर अपना हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......83......./शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक......11-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।